

## बिहार सरकार

### वित्त विभाग

#### संकल्प

**विषय:** सेवानिवृति के उपरांत अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवानिवृति वाले कार्यालय के डीडीओ द्वारा करने के संबंध में ।

राजपत्रित पदाधिकारियों का वेतनपूर्जा तथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान हेतु महालेखाकार एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग द्वारा कोषागार पदाधिकारी के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाता है । कोषागार पदाधिकारी द्वारा अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कोड पर उक्त प्राधिकार से संबंधित राशि की निकासी नहीं की जा सकती है । पूर्व में प्रत्येक कोषागार में एक डमी डी०डी०ओ० कोड खोलकर भुगतान किया जाता था, जो उचित नहीं है । वर्तमान में CTMIS में DDO Code सृजित करने का कार्य कोषागार स्तर पर नहीं किया जा रहा है । इसलिए डमी डी०डी०ओ० सृजित नहीं हो रहा है । डमी डी०डी०ओ० की प्रथा अच्छी व्यवस्था नहीं है । CFMS के अंतर्गत डी०डी०ओ० कोड की व्यवस्था नहीं है ।

पूर्व में राजपत्रित पदाधिकारी स्वयं डी०डी०ओ० होते थे, जो मैनुअल विपत्र तैयार कर अपना वेतन निकासी करते थे । इसलिए मैनुअल व्यवस्था के अंतर्गत महालेखाकार से निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर कोषागार से सीधे भुगतान हो जाता था । वर्ष 2008-09 से राज्य के सभी कोषागारों के कम्प्यूटराइजेशन के कारण कोषागार से राशि निकासी हेतु CTMIS सृजित विपत्र डी०डी०ओ० कोड के माध्यम से कोषागार में ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है । वर्ष 2007 से राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए स्वयं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी, लेकिन महालेखाकार/वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग से उनके लिए उपार्जित अवकाश के भुगतान हेतु सीधे कोषागार पदाधिकारी के नाम प्राधिकार पत्र निर्गमन की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया गया । कोषागार पदाधिकारी द्वारा CTMIS में डमी डी०डी०ओ० कोड खोलकर भुगतान किया जाता है । CFMS के अंतर्गत भी सिस्टम सृजित विपत्र कार्यालय प्रधान के द्वारा कोषागार में ऑनलाईन प्रेषित किया जायेगा न कि डी०डी०ओ० कोड पर ।

वर्तमान में राजपत्रित पदाधिकारियों का सेवाकाल में भी उपार्जित अवकाश मद में राशि की निकासी संबंधित कार्यालय के डी०डी०ओ० द्वारा की जाती है न कि स्वयं राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा । इसलिए सेवानिवृति के बाद भी अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवानिवृति वाले कार्यालय के डी०डी०ओ०/कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाना चाहिए ।

उपर्युक्त परिस्थिति में अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की निम्नांकित व्यवस्था की जाती है :-

1. महालेखाकार (ले0 एवं हक0) तथा वित्त (व्यैक्तिक दावा निर्धारण) विभाग द्वारा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के नगदीकरण हेतु प्राधिकार पत्र उस कार्यालय के डी०डी०ओ०/कार्यालय प्रधान के नाम से निर्गत किया जायेगा, जहाँ से पदाधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं । इसकी प्रति कोषागार पदाधिकारी को भी दी जायेगी ।
2. उक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर संबंधित कार्यालय के डी०डी०ओ०/कार्यालय प्रधान द्वारा विपत्र तैयार कर ऑनलाईन कोषागार में प्रेषित किया जायेगा तथा सेवानिवृत्त पदाधिकारी के बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जायेगा ।
3. CTMIS/CFMS या किसी भी कम्प्यूटराईज्ड व्यवस्था में System generated bill से ही भुगतान हो सकता है न कि किसी वाह्य एजेन्सी प्राधिकार पत्र के आधार पर । CTMIS के अंतर्गत विपत्र के साथ प्राधिकार पत्र संलग्न कर कोषागार में भेजा जायेगा । CFMS के अंतर्गत प्राधिकार पत्र विपत्र के साथ अपलोड किया जायेगा ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक: को०प्र०/विविध-16/2018..... पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल, पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक: को०प्र०/विविध-16/2018..... पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि: सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक: को०प्र०/विविध-16/2018.....<sup>10</sup> पटना, दिनांक.....<sup>02-01-19</sup>

प्रतिलिपि: प्रभारी ई-गजट शाखा एवं सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय) ।

2/1/19